

पश्चिम मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय

कार्मिक शाखा, जबलपुर

पत्रक्र.-जबल./का./भर्ती/620/भूमि अधिग्रहण

दिनांक 25.03.2021

सर्वसंबंधित

जबलपुर मंडल

विषय:-सतना-रीवा दोहरीकरण रेल लाईन परियोजना के सकरिया एवं बिरहुली
ग्राम के भूमि अधिग्रहण के प्रभावितों/आश्रितों की नियुक्ति बाबत।

संदर्भ:-इस कार्यालय द्वारा जारी आवश्यक सूचना दि: 22.03.2021।

.....0.....

उपरोक्त संदर्भित विषय में सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त रेल लाईन परियोजना के सकरिया एवं बिरहुली ग्राम के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित उन भूस्वामी/आश्रितों से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु दि: 22.03.2021 को आवश्यक सूचना जारी की गयी थी जिनकी भूमि का अवार्ड दि: 11.11.2019 के पूर्व पारित किया जा चुका था।

आज दि: 25.03.2021 को उसमें आंशिक संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की जा रही है। इस नई अधिसूचनानुसार दिए गये पते पर आवेदन पूर्ण कर संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रेषित करे अथवा आवेदक स्वयं भी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में बने समाधान केन्द्र में काउन्टर नं.4 के सामने रखे पेटी में जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.05.2021 है।

(सुप्रकाश)

वरि.मं.का.अधि/जबलपुर

प्रति:1.मंडल रेल प्रबंधक,जबलपुर को सादर सूचनार्थ

2.अपर मंडल रेल प्रबंधक(G&C),जबलपुर को सादर सूचनार्थ।

3.उप मुख्य अभियंता(निर्माण)/जबलपुर को सूचनार्थ

अधिसूचना

सतना-रीवा दोहरीकरण रेल लाईन परियोजना के सकरिया एवं बिरहुली ग्राम के भूमि अधिग्रहण के प्रभावितों/आश्रितों की नियुक्ति हेतु अधिसूचना (केवल दि:11.11.2019 के पूर्व पारित अवार्ड हेतु)

1. रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(NG)II/2010/RC-5/I दिनांक के अनुक्रम में पश्चिम मध्य रेल के इंजीनियरिंग (निर्माण) विभाग द्वारा सतना-रीवा दोहरीकरण रेल लाईन परियोजना (निक्षेप कार्यो/Deposit Work को छोड़कर) के अंतर्गत रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.09.2010 के जारी होने के पश्चात भूमि अधिग्रहण से प्रभावितों/आश्रितों की नियुक्ति हेतु यह अधिसूचना जारी की जा रही है।
2. पश्चिम मध्य रेल की रेलवे परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवार के एक सदस्य जो नीचे दर्शाये गये मानदण्डों को पूर्ण करते हैं, को वेतनमान पी बी -1 रु. 5200-20200 ग्रेड पे 1800 (पूर्व संशोधित वेतनमान) में नियुक्ति के लिये विचार हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक अ, ब, स एवं द सहित) आमंत्रित किये जाते हैं।
 - I. आवेदक (भूमि का एकमात्र मालिक अथवा उसका पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी) ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भूमि अथवा भूमि का एक भाग परियोजना के लिये अधिग्रहित किया गया हो। इसके अलावा किसी अन्य संबंधी की नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि भूमि का मालिक एक व्यक्ति से अधिक हो तो सक्षम पदाधिकारी, रेलवे (संशोधित) एक्ट 2008, में यथा परिभाषित/भूमि अधिग्रहण अधिकारी यह निर्णय लेगा कि आवेदक किसे माना जाये। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवार से केवल एक ही आवेदक को नौकरी की पेशकश की जायेगी।
 - II. यह सुनिश्चित किया जावे कि विस्थापित व्यक्ति को उपरोक्त परियोजना के लिये अधिग्रहित की गई उसकी भूमि के बदले में राज्य सरकार से कोई भूमि नहीं मिली हो।
 - III. यह अधिसूचना सकरिया एवं बिरहुली ग्राम के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित केवल उन भूस्वामी/आश्रितों के लिए जारी किया जाता है जिनकी अधिग्रहित भूमि का एवार्ड दि: 11.11.2019 के पूर्व पारित किया जा चुका है।
3. वे आवेदक जो जमीन की क्षति के लिये रेलवे में रोजगार के लिये आवेदन दे रहे हैं, निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर नीचे दिए गये पते पर डाक द्वारा जमा करें अथवा आवेदक स्वयं भी मंडल रेल कार्यालय में बने समाधान केन्द्र में काउन्टर नं.4 के सामने रखी पेटी में जमा कर सकते हैं।
आवेदन जमा करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सभी कॉलम सही तरीके से भरे गये हैं।
आवेदन निम्न कार्यालय में प्रेषित किया जाए।

क्र.	रेल परियोजना का नाम	आवेदन भेजने का पता
1	सतना-रीवा दोहरीकरण रेल लाईन परियोजना	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (भूमि अधिग्रहण अनुभाग) मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पश्चिम मध्य रेल, सिविल लाईन, जबलपुर, म.प्र., पिन-482001।

नोट : आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से लिखें—

रेल परियोजना का नाम :

भूस्वामी का नाम :

ग्राम : तहसील : जिला :

प्रति,

प्रेषक/आवेदक,

4. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक अनिवार्य रूप से दिए जाये :-

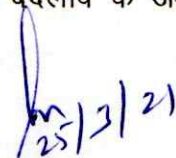
- i. नियुक्ति के लिए दावा करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र अपने हस्ताक्षर करके तथा फोटो स्थानीय संसद सदस्य/विधायक अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
- ii. आवेदक को उपर्युक्त पैरा 3 में नियत पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुये सक्षम अधिकारी/भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित एवं नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति, जो इसमें दिए गए प्रारूप में हो, भी प्रस्तुत करना होगा। भूमि के संयुक्त स्वामित्व की दशा में प्रत्येक भूस्वामी का अलग-2 शपथपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र (मूलप्रति) प्रस्तुत करना होगा।
- iii. आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र, जाति के सत्यापन हेतु प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की छायाप्रति स्वयं सत्यापित होनी चाहिए।
- iv. आवेदन का खंड 2 का अनुलग्नक 'स' एवं 'द' पूर्ण भरा हुआ एवं भू - अधिग्रहण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- v. आवेदन पत्र के साथ अर्जित भूमि से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि का खसरा B I एवं P II भूमि का एवार्ड पत्रक की पूर्ण लिस्ट धारा-11(1) के अंतर्गत भू-अर्जन अधिकारी द्वारा जारी सूची, ऋण पुस्तिका की प्रति, भू-अर्जन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, भू-अर्जन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की मूल प्रति, प्राप्त मुआवजा राशि की ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न होनी चाहिए।
- vi. यदि आपके प्रकरण में रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि संयुक्त नामों से है तो प्रत्येक भू-स्वामी से आपके पक्ष में अलग-अलग अनापत्ति नोटरी से सत्यापित फोटो युक्त शपथ पत्र के रूप में नॉन-ज्यूडिशियल रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (खंड 1, अनुलग्नक 'अ' के प्रारूप में)
- vii. आवेदक, भू-स्वामी एवं सहखातेदारों तथा सह-खातेदारों के पुत्र-पुत्रियों के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति, यदि भूमि पिता/माता के नाम पर है तो सभी भाई-बहिनों की फोटो एवं आई डी युक्त एन.ओ.सी संलग्न होनी चाहिए।

5. अन्य आवश्यक विन्दु:-

- i. आयु :- रेल मंत्रालय के विद्यमान मानदंडों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिये 05 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 03 वर्ष की छूट लागू होगी। उम्र का निर्धारण 01.07.2021 से किया जायेगा।
- ii. शैक्षणिक योग्यता:-दि:01.07.2021 को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/बोर्ड से 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 वीं, आई.टी.आई. या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र (एनएसी) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

आवेदक को खुले बाजार से सीधी भर्ती हेतु निर्धारित पात्रता, चिकित्सा परीक्षण एवं अन्य शर्तों को पूर्ण करना चाहिए।

- iii. विस्थापित परिवार में से केवल एक ही आवेदक को नौकरी दी जाएगी। यदि एक ही खसरा नं. पर एक ही परिवार से दो आवेदन प्राप्त होते हैं या पूर्व में नियुक्ति प्राप्त होना संज्ञान में आता है तो बिना किसी सूचना दिये आपका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- iv. नियुक्ति आवश्यक रूप से संरक्षा कोटियों में ही की जायेगी। पद का निर्धारण एवं पदस्थापना स्टेशन का निर्णय रेलवे प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार निर्णित किया जायेगा। दिए गए पद/विभाग को स्वीकार करना होगा व बदला नहीं जाएगा। इस मंडल में संरक्षा श्रेणी में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में दूसरे मंडल/कार्यशाला (Workshop) में भी नियुक्ति दी जा सकती है।
6. आवेदन पत्रों के जमा करने के बाद इंजीनियरिंग (निर्माण) विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेजों की छटनी की जाएगी व अन्य अर्हताओं की जाँच कर आगे की प्रक्रिया के बारे में योग्य/अयोग्य आवेदकों को सूचित किया जायेगा।
7. वे उम्मीदवार/भूस्वामी पुनः आवेदन न करें जिनके आश्रितों को पूर्व में नियुक्ति दी जा चुकी है। पूर्व में घोषित मेडिकल अनफिट उम्मीदवार भी पुनः आवेदन न करें।
8. एक बार नियुक्ति की पेशकश कर दिये जाने पर, भूमि के उसी भू-भाग के अधिग्रहण के आधार पर नियुक्ति के लिये कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **31 मई 2021 अपरहन 5:30** बजे तक है।
10. यह नीति रेलवे बोर्ड अथवा मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी नीति पत्रों के बदलाव के अध्याधीन रहेगी।


(सुप्रकाश)

वरि.मं.का.अधि/जबलपुर

पश्चिम मध्य रेलवे

आवश्यक सूचना दिनांक - 22.03.2021 में उल्लेखित सतना-रीवा दोहरीकरण रेलवे लाईन परियोजना के सकरिया एवं बिरहुली ग्राम के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमिहीनों को पी.बी.-1, 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

1. अभ्यर्थी का नाम
(अंग्रेजी में)

(हिन्दी में)

फोटोग्राफ चिपकाये(तीन महीने के अंदर का विधायक/सांसद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित)

2. अधिग्रहित भूमि का विवरण

भूस्वामी का नाम	खसरा नं.	ग्राम	तहसील	जिला
अना	अपिव	अजा	अजजा	दिव्यांग

3. समुदाय (कृपया √ करें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. पिता का नाम

5. जन्म तिथि

तिथि माह वर्ष

6. आयु 01.07.21

तिथि माह वर्ष

7. पहचान चिन्ह

8. भूस्वामी से संबंध (कृपया √ करें)

9. शैक्षणिक योग्यताएं -

1.	2.
स्वयं	पति
पत्नी	पुत्र
पुत्री	

योग्यता	विश्वविद्यालय/बोर्ड/विद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	अर्जित अंक

10. पत्राचार का पता

	राज्य
पिन	
मोबा. नं.	ईमेल आईडी यदि कोई हो

11. लिंग (कृपया √ करें)

महिला ☐ पुरुष ☐

12. वैवाहिक स्थिति (कृपया √ करें)

विवाहित ☐ अविवाहित ☐

13. आवेदक का आधार नंबर

--

14. धर्म:

हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ ईसाई ☐ सिख ☐ बौद्ध ☐ जैन ☐ पारसी ☐ अन्य ☐ (कृपया √ करें)

15. अनुलग्नकों की सूची (जो लागू हो):-

समुदाय प्रमाणपत्र (अपिव/अजा/अजजा)

शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र

अधिग्रहित भूमि का अवार्ड पत्रक

आवेदक द्वारा घोषणा -

	जन्म तिथि प्रमाणपत्र (मैट्रिक/10वीं प्रमाणपत्र)	
	भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र	
	अधिग्रहित भूमि के संबंध में भू अर्जन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र	

- i. मैं यह समझता/समझती हूँ कि इस आवेदन को जमा करने पर रेल मंत्रालय/भारत सरकार की ओर से रोजगार की कोई गारंटी नहीं है।
ii. रेल मंत्रालय या उस प्राधिकारी का निर्णय जिसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया है, का निर्णय अंतिम एवं मेरे लिए बाध्यकर होगा।

आवेदक के बायें अंगूठे का स्पष्ट निशान

--

आवेदक के स्पष्ट हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक :-

एकल/संयुक्त भूस्वामी होने की स्थिति में प्रत्येक भूस्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में अलग-अलग दिए जाने वाले अनापत्ति शपथ पत्र का प्रारूप 100/- रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिया जाये

शपथकर्ता
का नोटरी
द्वारा
सत्यापित
फोटो

समक्ष - नोटरी

अनापत्ति पत्र/शपथ पत्र

वास्ते मंडल रेल प्रबंधक, जबलपुर/भोपाल के समक्ष भूमि अधिग्रहण के एवज में रेल सेवा में नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करने :-

मैं आत्मज श्री आयु
निवासी पैन नं./आधार कार्ड नं. (प्रति संलग्न)
निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं ग्राम में स्थित जमीन या जमीन खंड जिसका खसरा नंबर सर्वेक्षण संख्या कुल रकबा का संयुक्त भूस्वामी हूँ। मेरे अतिरिक्त उक्त भूमि के अन्य भूस्वामी हैं, जिनके नाम सर्वश्री (1) (2) (3) (4) है।
2. यह कि उपरोक्त भूमि/भूमि का हिस्सा रीवा-सीधी नई ब्राडगेज लाइन हेतु रेलवे द्वारा अधिग्रहित किया गया है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि के बदले रेल सेवा में नियुक्ति हेतु श्री आत्मज श्री द्वारा आवेदन किया गया है जो कि हम भूस्वामियों में से श्री के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी हैं।
4. यह कि उपरोक्त आवेदक को रेल सेवा में नियुक्ति दिए जाने में मुझे एवं मेरे वारसानों को कोई आपत्ति नहीं है।
5. यह कि एक ही खसरा नं. पर एक ही परिवार से दो आवेदन प्राप्त होते हैं तो बिना किसी सूचना दिए मेरे उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए।
6. यह कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए।
7. यह कि कोई भी तथ्य/जानकारी मेरे द्वारा छिपाई अथवा गलत प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. यदि कोई तथ्य/जानकारी मेरे द्वारा छिपाई गई हो अथवा गलत प्रस्तुत हो, तो बिना किसी पूर्व सूचना के मेरे आश्रित (जिसे रेल सेवा में नियुक्त किया जना है) को रेल सेवा से हटा दिया जाएगा।

शपथकर्ता/भूस्वामी

सत्यापन

मैं आत्मज आयु
निवासी यह सत्यापित करता हूँ कि ऊपर कंडिका 01 से 08 तक के कथन मेरे संपूर्ण ज्ञान से सही एवं सत्य है।

आज दिनांक को मेरे द्वारा स्थान में हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता/भूस्वामी

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्ति की जानकारी

1. भूस्वामी का नाम
2. भूस्वामी का आधार नंबर
3. भूस्वामी का मोबाइल नंबर
4. आवासीय पता
5. कुल भूमि
6. कुल अधिग्रहित भूमि
7. कुल भूमि में से अधिग्रहित भूमि का प्रतिशत
8. पारिवारिक विवरण

क.	परिवार के सदस्यों का नाम	भूस्वामी से संबंध	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता	वैवाहिक स्थिति	सेवारत/व्यवसाय	सेवा का स्थान
1							
2							
3							

9. आवेदक उम्मीदवार का नाम
10. आवेदक उम्मीदवार का आधार नं. एवं मो. नं.
11. आवेदक उम्मीदवार का ईमेल आईडी
12. भूमिहीन व्यक्ति से संबंध
13. जन्मतिथि
14. निर्धारित आयु सीमा से कम/अधिक
15. शैक्षणिक योग्यता
16. विशेष परिस्थितियां

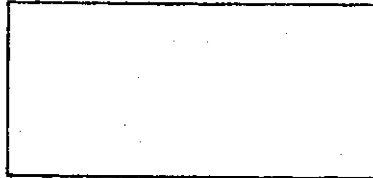
घोषणा

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए सभी विवरण मेरे विश्वास एवं जानकारी में पूर्ण एवं सही हैं। अगर किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी गलत या असत्य पायी जाती है या योग्यता निर्धारण में मैं अयोग्य पाया जाता हूँ तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति से मुझे सूचना दिए बगैर निरस्त/समाप्त कर दी जाएगी।

बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

स्थान :

दिनांक :



आवेदक का हस्ताक्षर

खण्ड II को भरकर भू अर्जन अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाए

1. भूमि का विवरण:

(क) सर्वेक्षण संख्या:—.....

(ख) खसरा संख्या:—.....

(ग) कुल रकबा :-.....

(घ) अधिग्रहित रकबा का क्षेत्रफल:—.....

2. भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की कुल राशि

3. व्यक्ति जिसे क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया

4. क्या भूमि आवेदक के नाम पर है?

यदि नहीं तो किसके नाम पर है?.....

5. कुल भूमि से प्राप्त अनुमानित राजस्व

6. अधिग्रहित भूमि से (प्रति वर्ष) आय में हानि.....

7. जिसके नाम पर भूमि है उस परिवार के मुखिया के परिवारिक सदस्यों का विवरण

नाम	उम्र/जन्म तिथि	सम्बन्ध	टिप्पणी

8. परिवार के आय के अन्य स्रोत.....

9. क्या भू अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है?

स्थान :

दिनांक :

भू अर्जन अधिकारी का
हस्ताक्षर सील/मोहर सहित

पत्रांक :

भू-अर्जन अधिकारी का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि भूमि जिसका खसरा संख्या.....रकबा.....
ग्राम..... प.ह.नं. तहसील
जिला है, को ऊपर वर्णित रेल परियोजना हेतु अधिग्रहित किया गया है। इसका
विवरण भू अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत जारी अवार्ड पत्रक में क्रमांक में
दर्ज है। आवेदक इस जमीन का एकमात्र मालिक है, या श्री/श्रीमती
.....जो जमीन के एकमात्र मालिक के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के रूप में संबंधित हैं।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विस्थापित व्यक्ति ने परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि के एवज में
राज्य सरकार से कोई भूमि प्राप्त नहीं की है।

स्थान :
दिनांक :

भू अर्जन अधिकारी का
हस्ताक्षर सील/मोहर सहित

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. पुत्र/पुत्री
..... ग्राम जिला/मंडल प्रदेश के निवासी हैं

..... समुदाय से संबंधित हैं जिसे पिछड़ी जाति के रूप में निम्नलिखित अनुसार मान्यता प्राप्त है.

1. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 186 दिनांक 13 सितंबर, 1993 को प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी (सी), दिनांक 10 सितंबर, 1993.
2. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.
3. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24 मई, 1995.
4. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 210 दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1996.
5. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 129 दिनांक 8 जुलाई, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी.
6. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 164 दिनांक 01 सितंबर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96-बीसीसी
7. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 236 दिनांक 11 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/99/94-बीसीसी.
8. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 239 दिनांक 03 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/13/97-बीसीसी.
9. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 166 दिनांक 03 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96-बीसीसी.
10. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 171 दिनांक 06 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी.
11. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 241 दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/98-बीसीसी.
12. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 270 दिनांक 06 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/98-बीसीसी.
13. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 71 दिनांक 04 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99-बीसीसी.

श्री/श्रीमती/कु. और उसका परिवार साधारणतः राज्य के
..... जिले का निवासी है. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8/9/1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की अनुसूचित के कॉलम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं है.

दिनांक.....

सील

मुहर जिलाधीश/उपायुक्त आदि

टिप्पणी : यहाँ प्रयुक्त " साधारणतः निवासी" का अर्थ वही है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 30 में वर्णित है ।

अजा/अजजा उम्मीदवारों हेतु जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री श्री निवासी ग्राम/कस्बा जिला/संभाग राज्य/संघ अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(1) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (2) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 (3) संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951 (4) संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश 1956, मुम्बई रीआर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रीआर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रीआर्गेनाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित (5), संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956 (6) संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (7) 'संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962 (8) 'संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962, (9) 'संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 (10) 'संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967, (11) संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 (12) संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970, (13) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश-1978 (14) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश-1978.

2. उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में आवेदन-पत्र जो एक राज्य/संघ शासित प्रदेशों से अन्यत्र विस्थापित हुए हैं,

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कु., जो कि श्री/श्रीमती/कु. के पिता/माता हैं, गाँव/कस्बा जिला/संभाग राज्य/संघशासित प्रदेश ' के हैं और जाति/जनजाति ' से संबंधित हैं जिसे राज्य संघशासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। जारीकर्ता (निर्धारित अथारिटी का नाम) द्वारा पत्र सं० दिनांक के तहत.

3. श्री/श्रीमती/कु. और उसका परिवार साधारणतः गाँव/कस्बे. जिले/डिवीजन राज्य में निवास करता है.

स्थान राज्य/संघशासित प्रदेश, तिथि हस्ताक्षर पदनाम (कार्यालय मुहर)

(*) जो शब्द लागू न हों कृपया उन्हें काट दें. कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेशों का उल्लेख करें (*), उस पैराग्राफ को काट दें जो लागू न हो.

टिप्पणी : "साधारणतः निवासी" का अर्थ यहाँ वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 30 में उल्लिखित है ।

सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों की सूची

1. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम वर्ग स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/एसडीएम/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (प्रथम श्रेणी स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम न हो) ।

2. (i) मुख्य प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट (ii) अतिरिक्त मुख्य प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट (iv) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पर से कम न हो (v) एसडीओ (अभ्यार्थी या अभ्यार्थी के परिवार से सम्बंधित क्षेत्रा स्थित) (vi) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप टापू)